

कार्यवाही

प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

इलाहाबाद संकाय

1- शिक्षा परिषद संख्या 2023/12090001

संकाय दिनांक: 12-09-2023

कार्यवाही का विवरण

प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मिकी ब्यारिमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व में किए गए विज्ञापन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद संकायों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में इच्छा दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद द्वारा सम्बद्धता समिति की बैठक संघन हुई। बैठक में वर्ष 2023-24 हेतु प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी ब्यारिमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संकायों को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के तहत संकायों को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्देय नये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संकाय को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 00 संकाय द्वारा 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

श का कोड एवं नाम : 4493-OR RIZVI COLLEGE OF ENGINEERING

क्र	पाठ्यक्रम का नाम	वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उच्च प्रवेश क्षमता के तहत संकाय 315/18-2023/02/2022 00000-1 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व में संघीय संकाय संकायों की ओर से किए गए भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधीन प्राविधिक शिक्षा परिषद 2022/0000 में भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधीन सम्बद्धता निर्देश की जाती है।
- ✓ संकाय प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी ब्यारिमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगा।
- ✓ प्रतिष्ठान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी ब्यारिमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के संकाय के अनुक्रम संकाय में सम्बद्धता संकाय (शुद्ध प्रवेश, तैय्य प्रवेश) यदि उपलब्ध है।
- ✓ संकाय उच्च प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 3002 उच्च प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, विनियमकारी 2000, संशोधित विनियमकारी-2015 तथा संकाय-संकाय या निर्देश संकायों का अनुयायन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश किया जाएगा। प्रवेश के प्राविधिक प्रावधानों में शुल्क के सम्बन्ध में संकाय-संकाय या संकाय द्वारा निर्देश किये जा चुके प्रावधानों का पालन होगा, और अनुयायन कार्यालयी किये जायें। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2023-24 हेतु प्रवेश की अनुमति प्रदान किया जाता है, तो प्रवेश की स्वीकृति ही प्रदान होगी।
- ✓ संकाय में प्रवेश प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को ही पालन किया जाएगा।
- ✓ संकाय को संकाय संकाय या निर्देश प्रावधानों के प्रावधानों का पालन करना होगा।


सवि

दिनांक: 30/08/2022

पुस्तक- कविपत्रिका संख्या/2022/7818-8455

प्रतिष्ठान -

प्रधानाचार्य/निदेशक, DR RIZVI COLLEGE OF ENGINEERING


(प्रमुख/प्रभार)

सवि

कार्यवाही

प्रदेशीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, अयोध्या

संख्या- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2021-22/37

दिनांक- 09/08/2021

कार्यवाही का पत्र

प्रदेशीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पारमैली काउम्प्लेक्स अफ इन्जिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा ईमेल सं. 21021-22 हेतु विषयवस्तु राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, अयोध्या संयोजक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 21021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश सम्मतता वृद्धि सहित अन्य गटी पर विचार करते हुए सं. 21021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, अयोध्या संयोजक द्वारा सं. 21021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन एवं उसी अर्थात् प्रवेश सम्मतता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 4493-DR RIZVI COLLEGE OF ENGINEERING, DR RIZVI EDUCATIONAL COMPLEX, KARARI KAUSHAMBI

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सं. 21021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सम्मतता	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश सम्मतता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
3	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	0	0
4	MECHANICAL ENGINEERING	0	0

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था सं. 4493-DR RIZVI COLLEGE OF ENGINEERING, DR RIZVI EDUCATIONAL COMPLEX, KARARI KAUSHAMBI द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट, 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982, लैमेट्टर

वित्तव्यवहारी-2018 तथा अन्य निर्मित निधनों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इक्वीड फाइववर्कर्स हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय वर्गवर्गी फाइववर्कर्स हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय फाइववर्कर्स (दो वर्षीय वर्गवर्गी फाइववर्कर्स के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सख्त द्वारा निर्मित किये जाने वाले सख्तवर्कर्स प्रकाश की होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जमा आवश्यक होगा। पेश निर्धारण समिति द्वारा सदि सत्र 2021-22 हेतु वीस वर पुनर्निर्धारण किया जात है, तो वीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को संबद्ध किया जमा) वित्तव्यवहारी-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटी के रिजल्ट सड़ जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित सख्तवर्कर्स के अनुसार निरीक्षण एवं संबद्धता शुल्क जमा करवा होगा।
- ✓ संस्था को प0अई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जमा आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कबाने गये विधि/विषय/अधिनियम/सख्तवर्कर्स/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपाय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाय तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय द्वारा कबाने गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विपरीत इन वर्गवर्गी फाइववर्कर्स की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. सड़ दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिय संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई साद टापर किया जात है तथा टापर कस के संबंध में सा. स्वायत्तता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपुति संबंधी आदेश निर्मित किया जात है तो समस्त प्रतिपुति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विपरीत इन वर्गवर्गी फाइववर्कर्स संबन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सख्तवर्कर्स द्वारा प्रायिक तब के लिय आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्याभिसिग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0अई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवा होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्याभिसिग के सख्तवर्कर्स से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रछात्रा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रीकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संबन्धित फाइववर्कर्स को कबाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के सख्त उपलब्ध कबाने गये अभिलेख, भूमि-सख्त, पनीध, उपकरण इन्वेंट्री का सदि संस्था द्वारा किसी अन्य फाइववर्कर्स के संबन्ध में प्रवेश किया जात है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का

संस्था किसी अन्य कार्य के लिए बन रही है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।

- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, मकान, पर्यावरण, उपकरण एवं अन्य सामान्यतः प्रयोगशील वस्तुओं का उपयोग के अनुरूप उपस्थित नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शीतलकर)

सचिव

पुं.सं०- प्राविप/परिषद् सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/05/2021

पतिविति-

प्राविप/परिषद् सम्बद्धता DR RIZVI COLLEGE OF ENGINEERING, DR RIZVI EDUCATIONAL COMPLEX,
KARARI KAUSHAMBI



(सुनील कुमार शीतलकर)

सचिव